फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री सुरेन्द्र सिंह राव निवासी ग्राम व पो० आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट – प्रत्यर्थी

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 26/2026

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 24.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से जरिये पत्र क्रमांक :– सूचना का अधिकार/2026/217 दिनांक 17.04.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह राव, गांव व पो० आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 19.03.2026 को ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 244813856512053 के संबंध में गांव आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द के पुराना खसरा संख्या 2151/861 एवं नये खसरा संख्या 35 श्री अभयसिंह पुत्र भवानी सिंह को आवंटित भूमि के बारे में प्रतिलिपि चाही गई, जिसमें मिसल नम्बर व प्रार्थी को उक्त भूमि किस दिनांक/सन् को आवंटित हुई, उल्लेख नहीं है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से संबंधित रिकॉर्ड ढूंढा नहीं जा सका। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील जवाब स्वीकार करते हुए अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गांव आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द के पुराना खसरा संख्या 2151/861 एवं नये खसरा संख्या 35 श्री अभयसिंह पुत्र भवानी सिंह को आवंटित भूमि के बारे में सूचना चाही गई। जिसके संबंध में कार्यालय लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट जरिये पत्रांक 173 दिनांक 01.04.2026 से वांछित सूचना के संबंध में मिसल नम्बर व प्रार्थी को उक्त भूमि किस दिनांक व सन् को आवंटित हुई आदि का उल्लेख नहीं होने से संबंधित रिकॉर्ड ढूंढा नही जा सका बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णित किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा गांव आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द के पुराना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

खसरा संख्या 2151/861 एवं नये खसरा संख्या 35 श्री अभयसिंह पुत्र भवानी सिंह को आवंटित भूमि के बारे में चाही गई सूचना के संबंध में उक्त संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण पत्रावली का अवलोकन कर अपीलार्थी को नियमानुसार वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद